

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची  
एक्टिवटल अपील संख्या-9/2018

गायत्री देवी उर्फ गयेत्री देवी

..... अपीलकर्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

..... उत्तरदातागण

**कोरम:** माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

अपीलकर्ता की ओर से : कोई नहीं।

राज्य की ओर से : .अपर लोक अभियोजक।

उत्तरदाता सं० 2, 4 और 6 की ओर से : श्री राजेश लाला।

उत्तरदाता सं० 3, 5 और 6 की ओर से : श्री सी० एस० प्रसाद।

**आदेश सं०-06 दिनांक-25.07.2019**

बार-बार पुकार करने के बाद भी अपीलकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

इस अपील को अभियोजन नहीं करने के वजह से खारिज किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया०)